

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक: न-6/सीएफओ-PWL./23

ईमेल: cfopw@laks@gmail.com  
दिनांक: अक्टूबर 01, 2023

स्वामी/प्रबन्धक,

M/S Shemford Futuristic School,  
Belkandi, Srinagar,  
District-pauri Garhwal.


विषय:- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के **Annual Clearance** के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर-62456871 दिनांक: 23.09.2023 जो कि **Uttarakhand Fire And Emergency Service** के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन पौड़ी द्वारा किया गया, प्रभारी फायर स्टेशन पौड़ी की निरीक्षण आख्या दिनांक: 30.09.2023 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी, समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में है तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक: 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांक: 03 अक्टूबर, 2023 से 02 अक्टूबर, 2026 (3 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण-पत्र निम्न बिन्दुओं के अनुपालन के दृष्टिगत सशर्त जारी किया जाता है।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखा जाय।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है। अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. नवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया के निर्माण Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाय।
5. इस अनापत्ति प्रमाण-पत्र की उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
6. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य है न किये जाने पर प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।
7. यदि उपरोक्त अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
8. संस्थान के मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी अन्य विभाग द्वारा आपत्ति होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी एवं अन्य विभाग/व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर प्रदत्त प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।
9. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी. 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

  
Prakash  
Shemford Futuristic School  
Belkandi, Pauri Garhwal

  
(राजेंद्र सिंह)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
पौड़ी गढ़वाल।  
MANAGER  
Shemford Futuristic School  
Belkandi, Srinagar Garhwal